शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 30 – 6 फरवरी 2023 मूल्य पांच रूपए

जब स्थितियां श्रीलंका जैसी हो रही है तो अनावश्यक नियुक्तियां क्यों?

जनता को भरोसे में लेने के लिये श्वेत पत्र जारी क्यों नहीं हो रहा?

वित्तीय कुप्रबंधन के लिये जिम्मेदारी तय करने का साहस क्यों नहीं।

मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का औचित्य क्या है?

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश की आर्थिक बदहाली पर हर रोज चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं। यहां तक कह गये हैं कि प्रदेश के हालात श्रीलंका

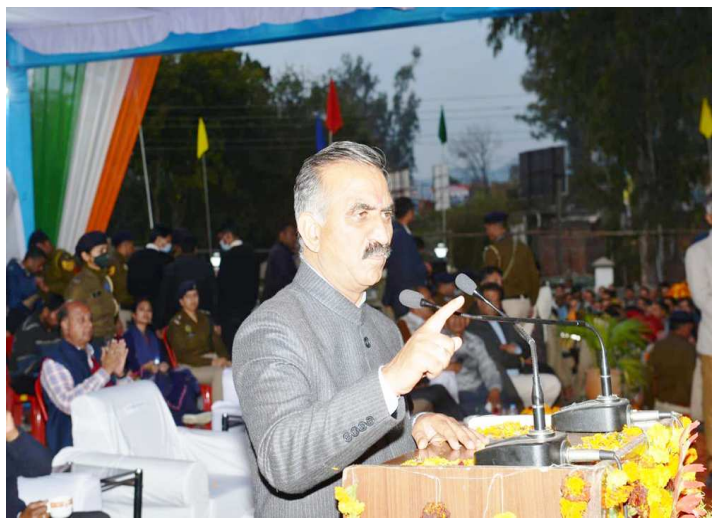

जैसे होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश की आर्थिकी की जानकारी रखने वाले इस बयान से सहमत होंगे। यह स्पष्ट है। क्योंकि प्रदेश में लंबे समय से संविधान की अनदेखी कर राज्य की समेकित निधि से अधिक खर्च करने का चलन चला आ रहा है। इस खर्च को अगले कई वर्षों में नियमित किया जाता है। यह चलन शान्ता कुमार के कार्यकाल में ही शुरू हो गया था। हर बजट में आकस्मिक निधि का निश्चित प्रावधान किया जाता था। यह बजट की आवश्यकता होती है। लेकिन कई वर्षों से इस निधि में शून्य बजट का चलन चल रहा है। कैग रिपोर्ट में हर बार यह जिक्र दर्ज रहता है। लेकिन कभी भी किसी भी सरकार में इस पर सदन में पक्ष/विपक्ष ने चर्चा का साहस नही जुटाया है। हर बजट दस्तावेज में यह दर्ज रहता है कि पूंजीगत प्राप्तियां शक्ल ऋण होती है। लेकिन यह ऋण कहां से लिया जाता है? इसकी भरपायी कैसे होती है? क्या इस ऋण को भी शक्ल ऋण में दिखाया जाता है? इस पर भी आज तक किसी ने सदन में कोई चर्चा नही उठाई है। क्योंकि एफ.आर.बी.एम. में एक संशोधन के माध्यम से ऐसी अनियमितता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया है। इसी कारण से तो सदन में कैग रिपोटों पर चर्चा नहीं होती। यह सवाल कभी नहीं उठाया जाता है कि कितने विभागीय सचिवों ने फील्ड में जाकर सही स्थितियों का आकलन अपने विभागों की परियोजनाओं को लेकर किया है। जबकि रूल्स ऑफ बिजनैस के तहत यह उनकी जिम्मेदारी होती है। इस तरह की नजरअंदाजीयों का ही परिणाम है कि आज प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की कगार पर पहुंच गये हैं। क्योंकि वित्त सचिवों ने संसाधन जुटाने के नाम पर बजट से पहले या बजट के बाद कर लगाने सेवाओं के शुल्क बढ़ाने और कर्ज लेने का आसान रास्ता अपना लिया है। बजट से पहले और बाद में कर लगाये गये, शुल्क बढ़ाये गये और सदन में कर मुक्त बजट पेश करके अपनी पीठ थपथपाने का श्रेय भी लिया जाता रहा है। कई कई वर्षों तक उपयोगिता प्रमाण पत्र तक जारी नहीं होते हैं लेकिन कभी किसी की जिम्मेदारी तक तय नहीं की गयी। ऐसे ही हर बजट में जोखिम भरी प्रतिभूतियों की सूची दर्ज रहती है। लेकिन जिन सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबंधन में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है वहां पर भी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। जबकि हर उपक्रम के प्रबंधन में वित्त विभाग की भागीदारी रहती है। ऐसे दर्जनों बिन्दु है जहां पर वित्तीय अनुशासन जिम्मेदारी की हद तक होना चाहिये लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वित्तीय नियम है कि सरकार को राजस्व व्यय अपने ही संसाधनों से जुटाना होता है। इस खर्च के लिये कर्ज लेने का कोई नियम नहीं है। कर्ज लेने का नियम स्पष्ट है। उसी कार्य के लिये कर्ज लिया जायेगा जिसमें निवेश के बाद सरकार को आय होना सुनिश्चित होगी। इस नियम की कसौटी पर यदि राज्य के कर्ज भार और उस पर देय ब्याज तथा कर वह करेत्तर आय का आकलन किया जाये तो साफ हो जाता है कि इसमें कोई अनुपात बैठता ही नहीं है। यह इसलिए हो रहा है कि राजस्व व्यय के लिये भी कर्ज से खर्च करना पड़ रहा है। यही कारण है कि इस लिये गये कर्ज का एक बहुत बड़ा कर्ज किस्त चुकाने में खर्च हो रहा है। केंद्र लम्बे अरसे अनुत्पादक खर्चों पर रोक लगाने के निर्देश देता रहा है। प्रदेश की कर्ज लेने की सीमा भी पूरी हो चुकी है। इस पर भी केंद्र का वित्त विभाग चेतावनी जारी कर चुका है। इस परिदृश्य में मुख्यमंत्री की यह आशंका निर्मूल नहीं है कि प्रदेश के हालात कभी भी श्रीलंका जैसे हो सकते हैं। लेकिन इसी परिपेक्ष में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाये। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य सरकार इस दिशा में कोई गंभीर कदम भी उठा रही है या नहीं। यह सवाल इसलिये प्रसांगिक और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जयराम सरकार के कार्यकाल में आयी कैग रिपोर्टों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रदेश को केंद्र से कोई अतिरिक्त वित्तीय सहायता नहीं मिली है। बहुत सारी योजनाओं में केंद्र की सहायता शुन्य रही है। कुछ अरसे से तो जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति तक नहीं मिल रही है। इससे स्पष्ट है कि जब भाजपा की सरकार को ही केंद्र से कोई सहायता अलग से नहीं मिल पायी है तो आज कांग्रेस की सरकार को यह मिल पाना कैसे संभव होगा। इसलिए आज सुक्खू सरकार को भी इस व्यवहारिक स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। कांग्रेस ने जब चुनाव से पहले दस गारंटीयां जारी करने पर सोचा होगा तो क्या उस समय प्रदेश की व्यवहारिक स्थिति का ज्ञान नहीं रहा होगा। क्या उस समय इन गारंटीयों को पूरा करने के लिये कर्ज लेने का ही सोचा गया था? जब स्थिति श्रीलंका जैसी होने की स्थितियां बन रही है तो ऐसे में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को कैसे जायज ठहराया जायेगा? प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र लाकर जनता को भरोसे में लेने का क्यों नहीं सोचा गया? जब तक जनता को विश्वास में नहीं लिया जायेगा तब तक कोई भी गंभीर कदम उठाना संभव नहीं होगा।

परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बना

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिज मैदान शिमला से ग्रीन मोबिलिटी अभियान के तहत व पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी

दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से परिवहन विभाग पूर्ण रूप से विद्युत वाहन उपयोग करने वाला देश का पहला सरकारी विभाग बन गया है, जो व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग के बाद अब राज्य सरकार अन्य विभागों की परंपरागत ईंधन वाहनों को भी एक साल के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ प्रतिस्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न विभागों के खर्चों में काफी कमी आयेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वातावरण को साफ-सुथरा रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही 'परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-नादौन-देहरा' परिवहन लाइन को क्लीन एंड ग्रीन कोरिडोर बनाने जा रही है। इसके अलावा शिमला शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में होने वाले अधिकांश बस रूटों पर ई-बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि रामपुर-शिमला कोरिडोर में भी अधिकांश ई-बसों का संचालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला लोकल डिपो को पूर्णत: इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाया जाएगा तथा नादौन में नया इलेक्ट्रिक बस डिपो खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि दो साल में हिमाचल पथ परिवहन निगम को 60 प्रतिशत इलेक्ट्रिक बसें प्रदान कर दी जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए अगले वित्त वर्ष में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 300 नई ई-बसें शामिल करेगी। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम को 400 करोड़ रुपये की धनराशि एकमुश्त स्वीकृत की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में चरणबद्ध तरीके से और अधिक ई-बसें शामिल की जाएंगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि परंपरागत ईंधन वाले वाहनों से उड़ने वाला धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है, इसलिए देश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता महसूस की जाने लगी है और इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य के परिवहन साधन के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की अनिवार्यता और अपरिहार्यता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 अधिसूचित की है। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को परिवहन साधन के रूप में अपनाने को बढ़ावा देकर पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, हिमाचल को इलेक्ट्रिक परिवहन व इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के हब के रूप में विकसित करना है। इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की चाहजग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रदेश भर में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना तथा प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्यमियों को सबसिडी तथा अन्य प्रोत्साहन देना भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर टोकन टैक्स में भी छूट दी गयी है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को गति देने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भी सरकार प्रतिबद्ध है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार अपने चुनावी वायदों को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध है तथा इस दिशा में प्रदेश सरकार ने पहले ही दिन से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने कर्मचारी तथा पैंशनरों के देय एरियर को भी देने के लिए वचनबद्ध है।

इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक रिज मैदान में परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक वाहन प्रदान कर एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी पहल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री का इन वाहनों को खरीदने के लिए समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस नयी पहल से जहां पैसे की बचत होगी, वहीं पर्यावरण तथा प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए भी एक सार्थक कदम है, जो वर्तमान सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने लगभग 50 दिन के कार्यकाल में तीन ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय लिये हैं, जिनमें ओ.पी.एस., इलेक्ट्रिक वाहन तथा अनाथ बच्चों एवं निराश्रित महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष शामिल हैं। वर्तमान सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है।

प्रधान सचिव, परिवहन आर. डी. नजीम ने मुख्यमंत्री स्वागत किया तथा परिवहन विभाग के इलेक्ट्रिक वाहनों को हरी झंडी दिखाने के लिए उनका आभार व्यक्त किया।

निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, आशीष बुटेल, रामकुमार चौधरी तथा किशोरी लाल, विधायक विनय कुमार, नंद लाल, इन्द्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, हरीश जनारथा, मलेंदर राजन तथा सुदर्शन बबलू और पूर्व मंत्री आशा कुमारी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

प्रत्येक निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और धनराशि प्रदान करेगी सरकार

शिमला/शैल। हिमाचल में सुख की सरकार मानवीय सरोकारों को विशेष अधिमान देते हुए सेवा और सुशासन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने के दो माह के भीतर ही ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनेक पहल कर बेसहारा व ज़रूरतमंद लोगों को सहारा प्रदान किया है। नववर्ष की पावन वेला पर मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष की स्थापना से ही यह स्पष्ट हो गया था कि जन कल्याण की दिशा में वह मज़बूत इरादों के साथ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री की पहल से सुख-आश्रय सहायता कोष के माध्यम से अब अनेक लोगों की जिंदगी संवरने लगी है।

शिमला स्थित प्रदेश सचिवालय में एक 27 वर्षीय निराश्रित बालिका ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें अवगत करवाया कि उसके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, न ही वह अनाथ आश्रम में रह सकती हैं क्योंकि अनाथ आश्रम में रहने के लिए आयु 26 वर्ष निर्धारित की गयी है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मानवीय संवेदनाओं को अधिमान देते हुए अनाथ आश्रम में रहने की आयु 26 वर्ष से बढ़ाकर 27 वर्ष करने का निर्णय लिया। अब यह बालिका एक वर्ष तक अनाथालय में रह सकती है। उन्होंने कहा कि इस बालिका को घर बनाने के लिए भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान की जाएगी। एक वर्ष के भीतर उसका अपना आशियाना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक निराश्रित बालिका को घर बनाने के लिए 4 बिस्वा भूमि और पर्याप्त धनराशि भी प्रदान करेगी। यह मुख्यमंत्री के दृढ़ इरादों और संवेदनशील सोच से ही संभव हो पाया। दूरदर्शी सोच से स्थापित मुख्यमंत्री सुख-आश्रय सहायता कोष निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार की सोच को संबल प्रदान करेगा।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मल निकासी संयंत्रों में तय मापदंडों का अनुपालन करने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने कहा कि बोर्ड ने शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड (एस.जे.पी.एन.एल) और जल शक्ति विभाग द्वारा मल उपचार संयंत्रों (एस.टी.पी.) में तय मापदंडों का अनुपालन नहीं करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करने से जल स्त्रोतों के प्रदूषित होने का खतरा बना रहता है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार बद्दी के समीप सिरसा नदी, मारकण्डा नदी, ब्यास नदी, अश्वनी खड्ड, गिरी नदी और पब्बर नदी के प्रदूषित भागों का कायाकल्प करने के लिए वर्ष 2019-20 में कार्य योजना तैयार की गई थी। एस.जे.पी.एन.एल. और जल शक्ति विभाग को एनजीटी के निर्देशों के अनुसार कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता थी।

जल शक्ति विभाग राज्य के मुख्य शहरी क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में 99.97 एमएलडी क्षमता के 70 एस.टी.पी. का संचालन कर रहा है। इसके अलावा एस.जे.पी.एन.एल. के पास 26.06 एमएलडी क्षमता के 06 एसटीपी हैं, जिन्हें स्तरोन्नत करने की आवश्यकता है। हालांकि, अश्वनी खड्ड के प्रदूषित नदी खंड का कायाकल्प नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है। प्रदूषकों की संघनता को कम करने के लिए अश्विनी खड्ड के जलग्रहण क्षेत्र की जैव उपचारात्मक प्रक्रिया को भी तेज करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड नियमित रूप से उपचारित अपशिष्ट जल का निरीक्षण, निगरानी और सैंपल भी एकत्रित कर आवश्यकता पड़ने पर नियामक कारवाई करता है।

संजय गुप्ता ने कहा कि इन गैर-अनुपालन वाले एस.टी.पी. के अनुचित संचालन और कामकाज के संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं और प्राथमिकता के आधार पर संशोधन, उन्नयन, विस्तार और निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है।

उन्होंने कहा कि मौजूदा एस.टी.पी. के संचालन में सुधार की आवश्यकता है और मल निकासी प्रबंधन प्रणाली के संवर्द्धन कार्य में तेजी लाने की जरूरत है जो कि नदियों के पानी की गुणवत्ता और राज्य के प्राकृतिक जलीय संसाधनों को प्रभावित कर रहा है।

उन्होंने कहा कि जल्द ही संबंधित विभाग के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। बोर्ड ने प्रधान सचिव, शहरी विकास और सचिव जल शक्ति विभाग से भी इस मामले में उचित कदम उठाने का आग्रह किया है।

धर्मशाला के विकास को मिलेंगे नए आयाम विधायक सुधीर शर्मा ने रखीं विकास की प्राथमिकताएं

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में विधायक प्राथमिकताओं पर चर्चा को हुई बैठक में धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा ने क्षेत्र के विकास को नए आयाम देने को लेकर अपनी विभिन्न प्राथमिकताएं रखीं।

उन्होंने धर्मशाला क्षेत्र की तीन

मुख्य खड्डों-चरान, मांझी और मनूणी के तटीकरण की बात की। धर्मशाला क्षेत्र में बहने वाली इन खड्डों में बरसात में बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि का कटाव व अन्य जान-माल का नुकसान होता है। इनके तटीकरण से एक ओर जहां हर साल करीब 1300 हैक्टेयर भूमि का बाढ़ से बचाव होगा, वहीं सालाना 25 करोड़ रुपये के नुकसान को भी बचाया जा सकेगा।

बैठक में चर्चा के दौरान सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के नरघोटा में एक्जीबिशन इंडस्ट्री हब बनाने की दिशा में काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक्जीबिशन इंडस्ट्री हब आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के साथ साथ प्रदर्शनियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के सहायक उद्योगों के विकास का वाहक होगा।

इसके अलावा उन्होंने धर्मशाला में ट्यूलिप गार्डन से चटकर और मांझी से धर्मकोट के लिये दो रोपवे बनाने की बात की। सुधीर शर्मा ने कांगड़ा हवाई अड्डे के निर्माण को प्राथमिकता पर करने का आग्रह भी किया।

मुख्यमंत्री ने इन सभी कार्यों के लिए अपनी सहमति व्यक्त की।

बैठक में उपरांत सुधीर शर्मा ने कहा कि धर्मशाला के विकास के लिए प्राथमिकता के साथ चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। क्षेत्र में विकास की नई योजनाएं लाने के साथ साथ अधूरे कार्यों को सिरे तक ले जाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे धर्मशाला के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने को प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही क्षेत्र के लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के स्थाई समाधान के अलावा यहां विश्वस्तरीय मानकों की सुविधाएं सृजित कराना उनका लक्ष्य है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा
अन्य सहयोगी
राजेश ठाकुर
अंजना

प्रदेश सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 का आकार 9523.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वार्षिक योजना 2023-24 के लिए ऊना, हमीरपुर, कुल्लू तथा सिरमौर जिला के विधायकों की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा

कि हम सत्ता के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आये हैं। उन्होंने कहा कि विधायक भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के दृष्टिकोण से अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में विचार-विमर्श और परामर्श से हमें प्रदेश में विकास की दिशा तय करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। राज्य के लिए वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है, जिसमें विपक्ष का सहयोग भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खर्चे कम करने होंगे।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है। सरकार का आने वाला बजट आगामी पांच वर्ष की दिशा तय करेगा जिस पर सरकार की योजनाएं लक्षित होंगी। उन्होंने अधिकारियों को संतुलित योजनाएं तैयार करने और इनके कार्यान्वयन को गति प्रदान करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने वार्षिक योजना 2023-24 का आकार 9523.82 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के लिए सरकार वचनबद्ध है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाएगी। जनता की शिकायतों को प्रभावी ढंग से सुलझाने एवं कुशल प्रशासन प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यवस्था में परिवर्तन के जरिए सभी लक्ष्य प्राप्त किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर की अधिसूचना के लिए 7 दिन की समयसीमा निर्धारित की गयी है, जबकि टेंडर अवार्ड करने के लिए 20 दिन की समयसीमा निर्धारित की गयी है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा उपायुक्तों से आग्रह किया कि विधायकों द्वारा उठायी गयी समस्याओं व शिकायतों को निपटाने में किसी प्रकार की कोताही न करें और उनके बहुमूल्य सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही करें।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि नाबार्ड के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 962 करोड़ के बजट का परिव्यय का पूर्ण उपयोग करें और नाबार्ड कार्यालय में प्रतिपूर्ति दावे 15 मार्च, 2023 से पहले जमा करें। उन्होंने विधायकों द्वारा दी गयी योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बनाने में होने वाले विलंब को कम करने के लिए एफसीए, एफआर और गिफ्ट डीड आदि औपचारिकताओं का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग और उपायुक्त भी अपने स्तर पर हर माह प्राथमिकताओं की समीक्षा करेंगे जिसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी।

इससे पूर्व वित्त सचिव अक्षय सूद ने मुख्यमंत्री, मंत्रिगण व विधायकगण का बैठक में स्वागत किया।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, अन्य सचिव व संबंधित जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, योजना सलाहकार वासू सूद और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

केन्द्र सरकार का बजट मात्र छलावा:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत वार्षिक बजट 2023-24 निराशाजनक व आम जनता की आशाओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह बजट मात्र आंकड़ों का मायाजाल है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों विशेषकर मध्यम वर्ग, गरीब, युवा और किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में बढ़ती मंहगाई और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है और यह पूर्णतया निराशाजनक है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को आज भी केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनावों से पूर्व 'अच्छे दिनों' के वायदे के पूर्ण होने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि बजट में रोजगार सृजन की दिशा में कोई भी प्रावधान नहीं है और शहरी रोजगार का कहीं भी जिक्र नहीं है। किसानों के लिए ऋण सीमा में वृद्धि के अलावा कुछ नहीं है। इससे केवल किसानों पर ऋण की देनदारी का बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए खेती के उपकरणों और खाद में उपदान की कोई घोषणा नहीं है। इसके अलावा, मनरेगा में भी कोई अतिरिक्त प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे साबित होता है कि इस बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार को पूर्णतय: नजर अंदाज किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट 2023-24 में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट में प्रदेश में रेल और राष्ट्रीय राज मार्गों के विस्तार के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आयकर दरों में किया गया बदलाव पर्याप्त नहीं है। यह बजट केवल समृद्ध लोगों के पक्ष में है और मंहगाई से परेशान मध्यम वर्ग को इससे बहुत निराशा हुई है। उन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ से जूझ रहे राज्यों के लिए बजट में कोई भी विशेष छूट नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट हिमाचल के लिए निराशाजनक रहा है।

प्रदेश सरकार श्रमिकों के कल्याण व समस्या समाधान के लिए कृतसंकल्प:डॉ.शांडिल

शिमला/शैल। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए आईटी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर बल दिया जाएगा ताकि उन्हें प्रशिक्षित कर देश-विदेश में रोजगार प्राप्त करने के लिए निपुण बनाया जा सके। यह बात आज श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ.कर्नल धनी राम शांडिल ने श्रम एवं रोजगार विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही।

डॉ. शांडिल ने कहा कि समाज के विकास में श्रमिकों की अहम भूमिका है। प्रदेश सरकार श्रमिकों व बेरोजगार युवाओं के कल्याण व उनसे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए कृतसंकल्प है।

उन्होंने प्रदेश में विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रमिकों की बढ़ती संख्या को मद्देनजर रखते हुए उनका पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उनके कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व सुविधाओं का लाभ उन्हें शीघ्र प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि इससे निर्माण कार्यों में संलग्न स्थानीय व प्रवासी कामगारों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा।

उन्होंने कहा कि श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की जल्द ही नियुक्ति की जाएगी ताकि श्रमिकों से जुड़ी समस्याओं व उनके हितों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

बैठक में श्रम एवं रोजगार सचिव अक्षय सूद ने विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के सुझाव भी प्रदान किए। बैठक में सचिव श्रम एवं रोजगार अक्षय सूद, श्रम आयुक्त मुकेश रपसवाल एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

विश्व बैंक ने प्रदेश के लिए 2500 करोड़ रुपये के ग्रीन रेजीलिएंट इंटेग्रेटिड प्रोग्राम में रूचि दिखाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक (सतत विकास) जॉन रूमे के नेतृत्व में विश्व बैंक की टीम के साथ बैठक के दौरान प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने की

अवधारणा पर चर्चा की। इस दौरान विश्व बैंक की सहायता से वर्ष 2025 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर भी चर्चा की गई। विश्व बैंक की टीम ने प्रदेश के लिए ग्रीन रेजीलिएंट इंटेग्रेटिड प्रोग्राम पर विशेष रूचि दिखाई जिस पर लगभग 2500 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। यह राशि तकनीकी समीक्षा के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है।

उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की टीम के इस दौरे के सफल परिणाम सामने आएंगे जिससे प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लक्ष्य को पाने में सहायता मिलेगी। प्रदेश सरकार ने आगामी नौ महीनों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य सरकार वर्ष 2024 के अंत तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण पर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में इलैक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रही है जिससे प्रदेश का वातावरण भी संरक्षित रहेगा। प्रथम चरण में आगामी वर्ष तक अधिकतम विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्व बैंक इस संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।

प्रदेश सरकार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की तर्ज पर प्रदेश में वृहद् स्तर पर उत्पादन से लेकर उपयोग तक कार्यप्रणाली पर कार्य करने के लिए प्रयासरत है। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की तकनीक महंगी है लेकिन सरकार इस संबंध में इंडियन ऑयल कार्पोरेशन से परामर्श लेगी जो भारत में ग्रीन हाईड्रोजन आर्थिकी के लिए अग्रणी कदम उठा रही है। इसके तहत देश के उत्तर-पूर्व क्षेत्र में प्रथम ग्रीन हाईड्रोजन संयंत्र आरंभ किया गया है। प्रदेश सरकार राज्य में कार्बन डाईऑक्साईड को घटा कर प्रदेश को प्रथम प्रदूषण रहित राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है।

जोन रूमे ने मुख्यमंत्री द्वारा हरित ऊर्जा एवं स्वच्छ राज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास एक अच्छी शुरूआत प्रदान करते है। उन्होंने मुख्यमंत्री को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक वाहन नीति को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा तथा शीघ्र ही विश्व बैंक की एक टीम तकनीकी समीक्षा के लिए प्रदेश का दौरा करेगी। बैठक के दौरान प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा भविष्य में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गतिविधियों पर भी चर्चा की गई जिसमें सतत् वन प्रबन्धन, सामुदायिक वानिकी, पारिस्थितिक सेवाएं, आपदा प्रबन्धन के अलावा तटों, जल स्त्रोत प्रबन्धन, प्रकृति आधारित पर्यटन तथा पारिस्थितिक सेवाओं का भुगतान शामिल है। विश्व बैंक ने इन प्रस्तावित परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करने की सहमति प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से किया जाए निपटान:प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि मीडिया में प्रकाशित समाचारों व पर्यावरण, विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से बोर्ड के संज्ञान में आया है कि राज्य में 70 डंपिंग स्थलों पर प्लास्टिक कचरा बेतरतीब ढंग से फेंका गया है।

उन्होंने कहा कि बोर्ड ने त्वरित कारवाई करते हुए 4 फरवरी, 2023 को शहरी विकास विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को बेतरतीब ढंग से डंप किए गए प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए आवश्यक कारवाई करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 में उत्पादित ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान और पुराने अपशिष्ट स्थलों के उपचार के संबंध में स्थानीय अधिकारियों और ग्राम पंचायतों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि वर्तमान में धर्मशाला, मंडी, बद्दी, सोलन, कुल्लू, मनाली, बिलासपुर, ऊना, संतोखगढ़, बैजनाथ, चुवाड़ी, डलहौजी, रिवालसर, सरकाघाट और हमीरपुर शहरी स्थानीय निकायों में 1,90,796 टन अपशिष्ट पदार्थ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि इन शहरी निकायों में अपशिष्ट उपचार कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निर्धारित समय सीमा के अनुसार नहीं है।

उन्होंने कहा कि शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभागों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति की बारीकी से निगरानी की जा रही है। बोर्ड ने राज्य में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में जीरो सहिष्णुता की नीति अपनाई है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष इस संबंध में अधिकारियों द्वारा की गयी प्रगति की निरंतर निगरानी कर रहे हैं।

यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नही बिगाड़ सकता।
.....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

मोदी सरकार के लिये घातक होगा अदानी प्रकरण

अदानी प्रकरण और मोदी सरकार का वर्ष 2023-2024 के लिए बजट दोनों करीब एक साथ आये हैं। मोदी सरकार का यह बजट उनके इस कार्यकाल का अन्तिम बजट है। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इस नाते यह बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। आयकर में भी बढ़ाई गयी सीमा अगले वर्ष होने वाले चुनावों के परिदृश्य में ही देखी जा रही है। बजट के सारे परिणामों के पूरा होने के लिये यह कहा गया है कि यह सब कुछ राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। इसलिए बजट पर यह सवाल उठाना बेमानी हो जाता है कि धन का प्रावधान कहां से होगा या यह बजट आम आदमी पर करों का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष बोझ बढ़ायेगा और सरकार की कर्ज पर निर्भरता बढ़ जायेगी। क्योंकि यह सामने चुका है कि सरकार ने संसाधन जुटाने के लिये पिछले वर्षो में भी विनिवेश, सार्वजनिक उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपने आदि के जो लक्ष्य रखें थे वह पूरे न होने के बाद संपत्तियों के मौद्रिकरण की नीति घोषित की है। संपत्तियों की जानकारी जूटाने के लिये पंचायत स्तर तक पत्र भेज दिया गया है। पहले चरण में मौद्रिकरण के नाम पर अठारह लाख एकड़ सरकारी जमीने बेचने का लक्ष्य तय किया गया है। महंगाई पर कितना नियन्त्रण हो पाया है। यह हर रोज बढ़ता कीमतों से सामने आ जाता है। बेरोजगारी के क्षेत्र में दो करोड़ नौकरियां देने के वादे से चलकर यह सरकार अब चार वर्ष के लिये अग्निवीर बनाने तक पहुंची है। सरकार की अब तक की सारी योजनाओं का हासिल यही है कि एक सौ तीस करोड़ की आबादी में आज भी करीब साढ़े सात करोड लोग ही आयकर रिटर्न भरने तक पहुंचे हैं और उनमें भी आयकर देने वाले केवल डेढ़ करोड़ लोग ही है। आज भी सरकार अस्सी करोड लोगों को मुफ्त राशन देने को उपलब्धी करार दे रही है। अन्दाजा लगाया जा सकता है कि जब अस्सी करोड़ लोग अपने लिये दो वक्त का राशन भी न जूटा पा रहे हो तो सारे घोषित लक्ष्यों और उपलब्धियों को दिन में ही सपने देखने से ज्यादा क्या संज्ञा दी जाये। आज कार्यकाल के अन्तिम बजट पर यह सवाल उठाने इसलिये प्रासांगिक हो जाता है क्योंकि देश का सबसे अमीर और विश्व का तीसरा अमीर व्यक्ति गौतम अदानी एक रिपोर्ट आने के बाद ही पन्द्रहवें पायदान पर पहुंच गया है। सरकार ने अदानी समूह के हवाले कितने सार्वजनिक प्रतिष्ठान कर रखे हैं सारा देश जानता है। सार्वजनिक बैंकों ने इस समूह को कर्ज भी दिये और इसके शेयर भी खरीदे। एल.आई.सी. ने भी इसमें निवेश किया और यह सामने आया है कि इतना निवेश करने के लिये प्रधानमन्त्री या वित्त मन्त्री की पूर्व अनुमति चाहिये। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में यह खुलासा सामने आया कि इस समूह ने अपनी कंपनियों के शेयरों में 85% का उछाल दिखाकर निवेशकों को निवेश के लिये प्रेरित किया। बाद में अधिकांश कंपनियां फर्जी और अदानी परिवार के सदस्य द्वारा ही टैक्स हैवन देशों में संचालित के जाने का खुलासा सामने आया। इसके परिणाम स्वरुप समूह के शेयरों की कीमतों में गिरावट आने लगी। विदेशी निवेशकों ने निवेश बन्द कर दिया और अदानी समूह को अतिरिक्त बीस हजार करोड़ का निवेश जुटाने के लिये जारी किया एफ.पी.ओ. वापिस लेना पड़ा। यह एफ.पी.ओ. वापिस लेने से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। समूह के शेयरों में गिरावट आने से निवेशकों में हड़कंप होना स्वभाविक है कि क्योंकि जिस लाभ की उम्मीद से निवेश किया गया था उसकी जगह मूल निवेश के भी सुरक्षित रह पाने पर प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है। एल.आई.सी. और सार्वजनिक बैंकों में देश के आम आदमी का पैसा जमा हैं। आज यह स्थिति पैदा हो गयी है कि अदानी समूह के डूबने से पूरे देश की आलथकी पर गंभीर संकट आ जायेगा। बजट के सारे लक्ष्य कागजी होकर रह जायेंगे। लेकिन यह सब होने के बावजूद देश की सारी निगरान एजैन्सियों का मौन बैठे रहना और संसद में विपक्ष के प्रश्नों पर सरकार का बहस से बचना देश के लिये एक अप्रत्याशित स्थिति पैदा कर देता है। यह स्थिति सरकार के भविष्य के लिये निश्चित रूप से घातक होने वाली है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को देश पर हमला करार देकर तनाव की स्थिति तो बनाई जा सकती है लेकिन उसे देश की आर्थिकी को नहीं बचाया जा सकता है। इसलिये अब प्रधानमन्त्री देश के सामने सही स्थिति रखने और विपक्ष के प्रश्नों का प्रमाणित जवाब देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा है।

मुसलमान क्या अपनी आधी आबादी की उपेक्षा कर समाज को समुन्नत बना सकते?

गौतम चौधरी

सच पूछिए तो इस्लाम में मर्द और औरत के बीच कोई भेदभाव नहीं है। इस्लामिक साहित्यों में इस बात की मुकम्मल चर्चा की गयी है। पवित्र ग्रंथों में बताया गया है कि अल्लाह, जो दुनिया का मालिक है महिलाओं के लिए पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए हैं। मसलन, महिला किसी कीमत पर पुरुषों से कम नहीं हैं। पवित्र कुरान अकसर ''विश्वास करने वाले पुरुषों और महिलाओं'' की अभिव्यक्ति का उपयोग पुरुष और महिला दोनों की उनके विशेष कर्तव्यों, अधिकारों और गुणों के संबंध में समानता पर जोर देने के लिए करता है। इस्लाम ने पुरुषों के बराबर महिलाओं के अधिकारों, उनकी गरिमा और सम्मान की पहचान की है। इस्लाम ने असमानता, महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त कर दिया और पुरुष व महिला दोनों के लिए एक पूर्ण आचार संहिता दी है। अल्लाह ने कुरान में कहा है, ''जो कोई भी पुरुष या महिला अच्छा करता है, और वह एक आस्तिक है, वह स्वर्ग में प्रवेश करेगा और उनके साथ जरा-सा भी अन्याय नही किया जाएगा।'' (4:125)।

पवित्र कुरान की शिक्षाओं के विपरीत, कुछ मुस्लिम समुदायों में महिलाओं को अभी भी इस्लाम की बुनियादी शिक्षाओं में निहित अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं। यहां मलप्पुरम केरल की एक घटना का जिक्र करना चाहुंगा। बीते वर्ष 2022 की शुरुआत में एक वीडियो ने पुरुष और महिलाओं के बीच समानता की अवधारणा के बारे में कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। वीडियो में, सुन्नी मुस्लिम विद्वान, एमटी अब्दुल्ला मुसलियार को सार्वजनिक रूप से एक सम्मान समारोह में आयोजकों को डांटते हुए देखा जा रहा है। मुसलियार साहब आयोजकों को दसवीं कक्षा की एक छात्रा को पुरस्कार करने पर डांटते नजर आते हैं। वाकया बेहद गंभीर है। उस मंच पर अब्दुल्ला मुसलियार के अलावे कई मुस्लिम विद्वान उपस्थित थे। जैसे ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पनक्कड़ सैयद अब्बास एएन शिहाब थंगल ने लड़की को एक स्मृति चिन्ह सौंपी मुसलियार आयोजकों में से एक के खिलाफ हो गये। वीडियो में मुसलियार साहब कहते सुने जा रहे हैं कि ''आपको किसने कहा कि दसवीं कक्षा की लड़की को मंच पर आमंत्रित करें... यदि आप (ऐसी लड़कियों को) दोबारा बुलाएंगे . ... मैं आपको दिखाऊंगा... ऐसी लड़कियों को यहां मत बुलाओ ... क्या आप नहीं जानते संस्था का निर्णय? क्या आपने उसे फोन किया था ... कृप्या माता-पिता को मंच पर आने के लिए कहें।'' यह घटना निश्चित रूप से इस्लाम की शिक्षाओं की पुष्टि नहीं करता है। इस्लामी शिक्षा निश्चित रूप से यह नहीं सिखाती है कि महिलाओं को घरों की चारदीवारी के अंदर बंद कर दिया जाए और इस प्रक्रिया में उनकी महत्वाकांक्षाओं और सपनों को कुचल दिया जाए।

बता दें कि इस्लामी धर्मगुरु मौलवियों के विश्वास के विपरीत, मुस्लिम महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक जीवन का आनंद लिया है। इस्लामी इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है। खदीजा (आरए), पैगंबर मुहम्मद की पहली पत्नी, एक सफल और सम्मानित व्यवसायी महिला थह्न। कुछ का कहना है कि उनका व्यवसाय कुरैश के सभी व्यवसायों के संयुक्त व्यापार से बड़ा था। वह निष्पक्ष व्यवहार और उच्च गुणवत्ता वाले सामानों के लिए समाज में की प्रतिष्ठित थीं। इससे पता चलता है कि इस्लाम के शुरुआती दौर में महिलाओं को नेतृत्व, शैक्षिक मार्गदर्शन, उद्यमिता और निर्णय लेने की जिम्मेदारी दी गई थी। हमारे देश में ही दिल्ली सल्तनत काल में रजिया सुल्तान ने पांच साल तक सफल शासन चला के दिखा दिया।

इस्लाम ने पुरुषों की तरह जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों की गारंटी दी है और महिलाओं पर पुरुषों के प्रभुत्व की अनुमति नहीं दी है। पुरुषों के प्रभुत्व वाली दुनिया में उचित धार्मिक ज्ञान की कमी, महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, प्रचलित रीति-रिवाजों और समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण भी महिलाओं के अधिकारों के बारे में कुछ भ्रांतियां प्रचलित हैं। कभी-कभी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पुरुष कुछ बुरे रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और इस्लामी शिक्षाओं को तोड़-मरोड़ कर इसे वैध बनाने की कोशिश करते हैं। इस्लाम में महिलाओं के अधिकारों के बारे में प्रचलित गलत धारणाओं को खत्म करने के लिए महिलाओं के बीच उचित इस्लामी ज्ञान और जागरूकता आवश्यक है। हालांकि, यह तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता में आवश्यक परिवर्तन नहीं किए जाते।

हर धर्म पंथ और चिंतन में महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है। कुछ लोग पंथ और परंपराओं की गलत व्याख्या कर महिलाओं के अधिकारों का तिरोहन करने की कोशिश करते हैं। यह निहायत नाजायज है। महिलाओं का अधिकार और उनका कर्तव्य महिला भली-भांति समझती और जानती हैं। हां, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि महिलाएं इस आड़ में अपनी मनमानी करने लगें। यदि ऐसा करती हैं तो समाज को खामियाजा बाद में भुगतना पड़ेगा पहले तो उन्हें खुद कई प्रकार की परेशानियां झेलनी होगी। हिन्दू चिंतन में कहा गया है स्त्री भोग की नहीं पूजनीय हैं। इस्लाम में भी कई स्थानों पर महिलाओं का उच्च आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हमारे समाज को स्त्रियों के प्रति नजरिया बदना पड़ेगा। इस्लामिक चिंतकों को भी इस मामले में अपने हृदय विकास करने होंगे।

यूविन पोर्टल के माध्यम से होगी बच्चों के वैक्सीनेशन की निगरानी

राज्य की सुख की सरकार ने सोलन व सिरमौर जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की यूविन पोर्टल की शुरूआत

शिमला। प्रदेश में सुख की सरकार ने बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत बचपन से ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी कार्य शुरू किया है। राज्य में अब बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व विभिन्न बीमारियों से बचाव के दृष्टिगत किये जाने वाले वैक्सीनेशन का क्रियान्वयन अब यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

यूविन पोर्टल को सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिला सोलन व सिरमौर में शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर प्रदेश में किये जाने वाले जच्चा बच्चा टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। केन्द्र प्रायोजित इस परियोजना के अन्तर्गत देश भर के चुनिंदा जिलों में यह दो जिले शामिल किये गये हैं।

इस पोर्टल को कोविन पोर्टल की तर्ज पर विकसित किया गया है। पोर्टल में प्रदेश के सभी वैक्सीनेशन लाभार्थियों का डेटा उपलब्ध रहेगा। पोर्टल में मां के गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म के बाद समय-समय पर होने वाला टीकाकरण की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध रहेगी। इससे पहले टीकाकरण संबंधी जानकारी केवल ऑफलाइन माध्यम से ही उपलब्ध रहती थी। विशेष बात यह है कि इस पोर्टल को सीधे लेबररूम से भी जोड़ा जा रहा है ताकि सही व सटीक जानकारी उपलब्ध रहे। युविन पोर्टल से सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है।

यूविन पोर्टल से ही सभी वैक्सीनेशन लाभार्थियों को टीकाकरण किये जाने संबंधी जानकारी एसएमएस के माध्यम से लाभार्थी के मोबाइल नम्बर पर मिलेगी। जच्चा बच्चा को, कब व किस समय, कौन सा टीकाकरण होना है, इसकी संपूर्ण जानकारी एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। यूविन पोर्टल का रिकॉर्ड राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध रहने के चलते लाभार्थी किसी भी राज्य में टीकाकरण करवा सकते हैं। पोर्टल की विशेष बात यह है कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात लाभार्थी को वैक्सीनेशन संबंधी प्रमाण-पत्र भी मिलेगा। यूविन पोर्टल में लाभार्थी को पंजीकरण करवाने के लिए आधारकार्ड व मोबाइल नम्बर वैक्सीनेशन केंद्र में देना होगा।

राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाव संबंधी टीकाकरण करती है। जिनमें मुख्य रूप से रोटा वायरस संक्रमण, क्षय रोग, खसरा, काली खांसी, टेटनेस, हेपेटाइटिस-बी संक्रमण इत्यादि शामिल हैं। बच्चों का टीकाकरण किये जाने से जहां उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, वहीं उन्हें विभिन्न जीवाणु तथा विषाणुओं से लड़ने की शक्ति भी मिलती है।

हिमाचल प्रदेश में सालाना 1 लाख से अधिक नवजात शिशुओं और लगभग 1.27 लाख गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए प्रदेश में कुल 390 कोल्ड चेन प्वाइंट हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सोलन व सिरमौर जिला में शुरू किये गए यूविन पोर्टल के अंतर्गत दोनों जिलों के 42 कोल्ड चेन प्वाइंट कवर किए जाएंगे। यूविन पोर्टल प्रत्येक गर्भवती महिलाओं व बच्चों को टीकाकरण के लिए ट्रैक करने की सुविधा के लिए एक डिजिटल समाधान है।

जिला सोलन व सिरमौर में शुरू किए गए यूविन पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में सालाना अनुमानित 43 हजार लाभार्थी लाभान्वित होंगे। जिनमें जिला सोलन में 0-1 वर्ष आयु वर्ग में अनुमानित 11 हजार बच्चों व 13 हजार गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। जबकि जिला सिरमौर में 0-1 वर्ष आयु वर्ग में अनुमानित 9100 बच्चों तथा 10 हजार गर्भवती महिलाएं लाभान्वित होंगी।

केन्द्रीय बजट 2023–24 के मुख्य बिन्दु

शिमला। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश किया। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं:

भाग – अ

प्रति व्यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन गई है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्यों की संख्या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है।

वर्ष 2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान किए गए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए हैं।

उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिये गए।

102 करोड़ लोगों को लक्षित करते हुए कोविड रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 220 करोड़ से पार।

47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज।

पीएम सम्मान किसान निधि के तहत 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये का नकद हस्ध्तांतरण।

बजट की सात प्राथमिकताएं 'सप्तऋषि'। इनमें शामिल हैं: समावेशी विकास, अंतिम छोर – अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र।

आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग – मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य से किया जाएगा।

वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।

केन्द्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा।

पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया।

रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।

शहरी अवसंरचना विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टीयर 2 तथा टीयर 3 शहरों में शहरी अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, बड़े व्यवसाय तथा चेरिटेबल ट्रस्टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्थापना की जाएगी, जिससे आवश्यक दस्तावेज़ों को ऑनलाइन साझा और सुरक्षित रखने में आसानी होगी।

5जी सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिनसे नये अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी।

चक्रीय अर्थव्यवथा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोबरधन (गैल्वनाइजिंग आर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) नामक योजना के तहत 10,000 हजार करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। प्राकृतिक और बॉयोगेस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5 प्रतिशत का कम्प्रेस्ड बायोगैस अधिशेष भी लाया जाएगा।

सरकार अगले तीन वर्षों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीट नाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्पन्न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठयक्रम शामिल किए जाएंगे।

विभिन्न राज्यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए 30 **स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर** स्थापित किए जाएंगे।

एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीनीकृत किया गया है। यह पहली अप्रैल 2023 से कार्प्स में 9,000 करोड़ रुपये जोड़कर क्रियान्वित होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त गारंटीयुक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1 प्रतिशत की कमी आएगी।

कंपनी अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में दाखिल विभिन्न फॉर्मों के केन्द्रीकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों की त्वरित कारवाई के लिए एक केन्द्रीय डाटा संसाधन केन्द्र की स्थापना की जाएगी।

वरिष्ठ नागरिक बचत खाता योजना में अधिकतम जमा की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़कर 30 लाख रुपये हो जाएगी।

लक्षित राजकोषीय घाटा 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे रहने का अनुमान है।

युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्टार्टअप्स शुरू कर सकें, इसके लिए **कृषि वर्धक निधि** की स्थापना की जाएगी।

भारत को 'श्री अन्न' के लिए वैश्विक केन्द्र बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद के भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे यह संस्थान सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणालियों, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सके।

कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा।

पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप-योजना को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा।

कृषि के लिए डिजिटल जन-अवसंरचना को एग्री-टेक उद्योग और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करने और किसान केन्द्रित समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा।

सरकार ने 2,516 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस) के कंप्यूटरीकरण कार्य शुरू किया है।

व्यापक विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता बढ़ाने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को अपने उत्पादों का सुरक्षित भंडारण करने और उचित समय पर उनकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम जल्द ही शुरू होगा।

सहयोगपरक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा आईसीएमआर प्रयोगशालाओं के माध्यम से संयुक्त सार्वजनिक और निजी चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।

औषधि निर्माण में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

विकास संभावना एवं रोजगार सृजन, निजी निवेश में बढ़ती भीड़ और वैश्विक खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए 10 लाख करोड़ का पूंजी निवेश, जो निरंतर 3 वर्षों में 33 प्रतिशत की वृद्धि है।

स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत अवसंरचना जैसे कई क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को बढ़ाने के लिए **500 प्रखंडों को शामिल करते हुए आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम** की शुरुआत हुई।

अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्षों में **प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन** को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये।

बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों में 100 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 75,000 करोड़ रुपये का निवेश, जिसमें निजी क्षेत्र का 15,000 करोड़ रुपये शामिल है।

अवसंरचना में निजी निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए **नया अवसंरचना वित्त सचिवालय** स्थापित किया गया।

शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वोत्कृष्ट संस्थान के रूप में **जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण** संस्थान विकसित किए जाएंगे।

भूगोल, भाषा सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट पुस्तकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एक **राष्ट्रीय डिजिटल बाल एवं किशोर पुस्तकालय** की स्थापना की जाएगी।

सतत लघु सिंचाई उपलब्ध कराने और पेयजल के लिए टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना के लिए केन्द्रीय मदद के रूप में 5300 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

पहले चरण में 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए डिजिटल एपीग्राफी संग्रहालय में **'भारत शेयर्ड रिपोजटरी ऑफ इनस्क्रिप्शंस'** की स्थापना।

केन्द्र का 'प्रभावी पूंजीगत व्यय' 13.7 लाख करोड़ रुपये।

अवसंरचना में निवेश बढ़ाने और पूरक नीतिगत कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज रहित कर्ज को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा।

हमारे शहरों को 'भविष्य के स्थायी शहरों' में बदलने के लिए राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन सुधारों एवं कार्यों को प्रोत्साहन।

सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीनयुक्त बनाने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा।

लाखों सरकारी कर्मचारियों को उनका कौशल बढ़ाने और जन केन्द्रित सुविधाएं उपलब्ध कराने योग्य बनाने के लिए एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच **आई-गोट कर्मयोगी** का शुभारंभ।

कारोबारी सुगमता के लिए 39,000 अनुपालनों को हटा दिया गया और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया गया।

सरकारी की विश्वसनीयता बढ़ाने की दिशा में 42 केन्द्रीय कानूनों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक लाया गया।

'कृत्रिम बुद्धिमता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमता से भारत के लिए कार्य कराएं' के विजन को साकार करने के लिए, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमता के लिए तीन उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।

स्टार्ट-अप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लायी जाएगी।

व्यक्तियों की पहचान और पते के मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजीलॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

स्थायी खाता संख्या (पैन) का इस्तेमाल विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान होगा।

कोविड अवधि के दौरान एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे हों, तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95 प्रतिशत भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा।

प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को बेहतर तरीके से आबंटित करने के लिए 'परिणाम-आधारित' वित्त पोषण।

न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए, 7,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना का चरण-3 शुरू किया जाएगा।

एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने 2030 तक 5 एमएमटी के वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा।

ऊर्जा-परिवर्तन तथा निवल-शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

लद्दाख से नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ रूपये के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी।

'पृथ्वी माता के पुनर्रूद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम' राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को रसायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा।

मनरेगा, सीएएमपीए कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ-साथ और लवण भूमि पर, जहां भी व्यवहार्य हो मेंग्रूव पौधारोपण के लिए 'तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रूव पहल, मिश्टी की शुरूआत की जाएगी।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिले।

अमृत धरोहर योजना को आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने तथा जैव-विविधता, कार्बन स्टॉक, पर्यावरणीय-पर्यटन के अवसरों तथा स्थानीय समुदायों के लिए आय सृजन बढ़ाने के लिए अगले तीन वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा।

एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरूआत कर कौशलवर्द्धन हेतु मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्द्धन सक्षम करने, एमएमएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत तीन वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा।

चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कम से कम 50 पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक सम्पूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा।

'देखो अपना देश' पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशलवर्धन और उद्यमशीलता विकास का समन्वयन स्थापित किया जाएगा।

वाइबेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत सीमावर्ती गांव में पर्यटन के बुनियादी ढाचों का विकास किया जाएगा और पर्यटन सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

राज्यों के उनके स्वयं के **ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद)**, जीआई उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी बिक्री करने के लिए एक **यूनिटी मॉल** स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

वित्तीय सहायक सूचना की केन्द्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक **राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री** की स्थापना की जाएगी। इसे ऋण का कुशल प्रवाह संभव हो पाएगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ

शेष पृष्ठ 6 पर.....

परामर्श करके डिजाइन किया जाएगा

आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से सुझाव प्राप्त करने के साथ वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समयसीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी।

जीआईएफटी आईएफएससी में व्यापार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं।

दोहरे विनियम से बचने के लिए एसईजेड अधिनियम के अंतर्गत आईएफएससीए को शक्तियां प्रदान की जाएंगी।

आईएफएससीए, एसईजेड प्राधिकारियों, जीएसटीएन, आरबीआई, सेबी और आईआरडीएआई से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए एकल खिड़की आईटी प्रणाली की स्थापना की जाएगी।

विदेशी बैंकों के आईएफएससी बैंकिंग इकाइयों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति दी जाएगी।

व्यापार पुनर्वित्त पोषण के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना की जाएगी।

मध्यस्थ, अनुषंगी सेवाओं के लिए और एसईजेड अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए आईएफएससीए अधिनियमों में संशोधन किया जाएगा।

विदेशी व्युत्पन्न दस्तावेजों के वैध संविदाओं के रूप में मान्यता दी जाएगी।

बैंक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है।

डिजिटल निरंतरता समाधान ढूढने वाले देशों के लिए जीआईएफटी आईएफएससी में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम की जाएगी।

प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदण्ड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने और बनाये रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा।

निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुनः दावा कर सकते हैं, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा।

आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक एकल नई लघु बचत योजना, **महिला सम्मान बचत प्रमाण – पत्र** शुरू किया जाएगा। महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ दो वर्षों की अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत की नियत ब्याज दर पर 2 लाख रुपये तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा।

मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकत्तम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रूपये और संयुद्र खाते के लिए 9 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया गया।

राज्यों के निमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023 – 24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किये जाने हैं, इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे परन्तु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तवित पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा।

राज्यों को जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत के राजकोषी घाटे की अनुमति

केन्द्रीय बजट 2023–24 के मुख्य बिन्दु

.....पृष्ठ 5 का शेष

होगी जिसका 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा।

संशोधित अनुमान 2022 – 23

उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 20.9 लाख करोड़ रुपये हैं।

कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41.9 लाख करोड़ रुपये है जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ रुपये हैं।

राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4 प्रतिशत है जो बजट अनुमान के अनुरूप है।

बजट अनुमान 2023 – 24

बजट 2023 – 24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमश: 27.2 लाख करोड़ रुपये और 45 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है।

निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5. 9 प्रतिशत रहने का अनुमान।

2023 – 24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रूपये होने का अनुमान है।

भाग – खा

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर के प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालन भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण तथा उन्हें युक्तिसंगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना।

आयकर विभाग अनुपालन को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास कर रहा है।

करदाता सेवाओं में और सुधार करने के लिए करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फार्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है।

नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।

नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

नई कर दरें

कुल आय (रुपए)	दर (प्रतिशत)
3,00,000 तक	कुछ नहीं
3,00,001 से 6,00,000 तक	5
6,00,001 से 9,00,000 तक	10
9,00,001 से 12,00,000 तक	15
12,00,001 से 15,00,000 तक	20
15,00,000 से अधिक	30

नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।

* नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यद्रिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक की कटौती होगी।

* गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नगदीकरण पर कर छूट की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।

* नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।

* सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी सीमाओं के लिए अनुमानित कराधान के लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी सीमा वर्ष के दौरान नगदी में ली गई कुल राशि के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों / टर्नओवर की 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है।

* एमएसएमई को किए गए भुगतान पर हुए व्यय के लिए कटौती को उसी मामले में अनुमति होगी जब समय पर प्राप्त भुगतानों में एमएसएमई की सहायता के क्रम में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो।

* ऐसी नई सहकारी संस्थाएं जो नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में उपलब्ध 15 प्रतिशत की कम कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए 31.3. 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू की हैं।

* चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में मूल्यांकन वर्ष 2016 – 17 से पूर्व अवधि के लिए गन्ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने का अवसर दिया गया है। इससे इन्हें लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध होने की उम्मीद है।

प्राथमिक कृषि कॉपरेटिव सोसाइटी (पीएसीएस) और प्राथमिक कॉपरेटिव कृषि ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीबी) को नगद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपये प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रस्ताव।

सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नगदी निकासी पर 3 करोड़ रुपये की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव।

स्टार्ट – अप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31.03.23 से बढ़ाकर 31.03.2024 तक करने का प्रस्ताव।

स्टार्ट – अप की शेयरधारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रेनयन के लाभ को निगमन के सात वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव।

कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा 54 और 54 एच के तहत आवासीय गृह मे किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।

दिनांक 1 अप्रैल, 2023 को या इसके बाद जारी जीवन बीमा पॉलिसियां (यूलिप को छोड़कर) के लिए कुल प्रीमियम अगर 5 लाख रुपये से अधिक है, तो केवल उन पॉलिसियों, जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपये तक है, से होने वाली आय पर छूट देने का प्रावधान। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर प्रदान की गई कर छूट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आयकर प्राधिकरण बोर्ड और कमीशन जिसकी स्थापना केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग, शहर का विकास, कस्बा और गांव के लिए नियामक और विकास गतिविधियों या कार्यों के लिए की गई हो उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव।

ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयता को स्पष्ट करने का प्रस्ताव। टीडीएस और नेट विनिंग के निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस और कर देयता के लिए प्रस्ताव।

गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को गोल्ड में परिवर्तित करने पर इसे पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाएगा।

गैर – पैन मामलों में ईपीएफ आहरण के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया गया।

मार्केट लिंकड डिबेन्चर से प्राप्त आय कराधान के अंतर्गत होगी।

आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों को जांच के लिए चनने हेतु और अधिक सेलेक्टिव रहेंगे।

आईएफएससी, गिफ्ट सीटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31.03.2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव।

आयकर अधिनियम की धारा 276ए के अंतर्गत 1 अप्रैल, 2023 से गैर अपराधीकरण।

आईडीबीआई बैंक सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करने का प्रस्ताव।

अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निपथ योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड द्वारा किया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव। अग्निवीरों की कुल आय में कटौती को अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केन्द्र सरकार ने इनकी सेवा के लिए उनके खाते में हस्तांरित किया है।

अप्रत्यक्ष कर

वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया।

कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल हैं।

सम्मिलित कप्रेस्ड बायो गैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव।

बिजली से संचालित वाहन में लगने वाले लीथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने वाले मशीनीरी/कैपिटल गुड्स पर सीमा शुल्क को बढ़ाकर 31.03.2024 तक किया गया।

हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुद्र बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है।

मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए, कुछ एक पूर्जों और कैमरा लैंसो जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम – आयान बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष लिए जारी रखना प्रस्तावित।

टीवी पैनल के ओपन सेलों के पूर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटा कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के हीट क्वायलों पर आयात शुल्क को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

रसायन उद्योग में डिनेचय्र इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता हैं। इस बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव।

घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा कायम रखने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरसपार पर बेसिक सीमा शुल्क को 5 प्रतिशत से कम कर 2.5 प्रतिशत किया जा रहा है।

इपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरिन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5 प्रतिशत से कम् कर 2.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

श्रीम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी का प्रस्ताव।

प्रयोगशाला निर्मित हीरों (एलजीडी) के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव।

सोने के डोरे और बारों और प्लेटिनम पर सीमा शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव।

चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव।

सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट जारी।

क पर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी को जारी रखवा गया।

संमिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर, लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर, 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी कम हो करने का प्रस्ताव।

विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क (एनसीसीडी) को तीन वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में संशोधन

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समयसीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव।

एंटी डम्पिंग ड्यूटी (एडीडी), काउंटरवेलिंग ड्यूटी (सीवीडी) और सुरक्षात्मक उपायों से संबंधित प्रावधानों के दायरे और प्रायोजन को स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव।

सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा

जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरूआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ किया जाएगा।

कम्पाउडिंग कर राशि की वर्तमान 50 से 150 प्रतिशत वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100 प्रतिशत किया जाएगा।

कुछ अपराधों को अपराधीकरण की सीमा से बाहर किया जाएगा।

संबंधित रिटर्न विवरण को भरने की निर्धारित तिथि से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि तक रिटर्न विवरणी को भरने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

ई – वाणिज्य संचालनों (ईसीओ) के माध्यम से माल की अंतर – राज्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए गैर – पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को मिश्रित करदाताओं को सक्षम बनाया जाएगा।

आई टी के क्षेत्र में भारत ने अमेरिका की सिलिकॉन वैली को भी पिछाड़ा:अनुराग

शिमला/शैल। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भाजपा कार्यसमिति को संबोधित करते हुए कहा की 9 साल पूर्व जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में सत्ता में थी तो 12% महंगाई दर था, पूरे देश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और देश नीतिगत पक्षघात की ओर अग्रसर था। तब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुनावी रण में उतारा और उन्होंने संकल्प लिया की वह ना खाएंगे, ना खाने देंगे और तब से अब तक भाजपा की केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग पाया है।

कांग्रेस के नेता केवल झूठे आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर चिपकाने का प्रयास करते है पर उनके सभी प्रयास फेल हो जाते है।

केंद्र की मजबूत सरकार ने कोविड के कठिन समय में देश में 220 करोड़ कोरोना वैक्सीन जनता को मुफ्त में लगाई, 28 महीने तक 80 करोड़ गरीबों को अनाज मुफ्त में देने का कार्य किया और इसके लिए 4 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्चे किया।

भाजपा अंत्योदय को ध्यान में रखकर काम करती है और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा होता है उसकी सहायता के लिए योजना बनाती है।

आज यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देश महंगाई से जूझ रहे हैं और वहां की महंगाई दर 8.3% है और भारत की महंगाई दर आज 5.7% है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने जा रही है, भारत में अगर कांग्रेस साशनकाल के समय के साथ तुलना की जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है और आज देश में 90 हजार स्टार्टअप चल रहे हैं।

आज देश डिजिटल इकोनामी की ओर बढ़ रहा है चाहे वह चाय वाला हो या रेडी फड़ी वाला, सब गूगल पर के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। देश में 12 लाख 62 हजार करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई है। आज हमारे देश की विश्वसनीयता पूरे विश्व में बढ़ रही है। आज भारत का कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट डिजिटली फोन पर उपलब्ध है और बाकी देशों का आज भी कागज पर है इस मामले में, आज भारत में अमेरिका की सिलिकॉन वैली को भी पीछे छोड़ दिया है।

कांग्रेस केंद्र में भी केवल प्रदेश सरकारों की बात करती है पर केंद्रीय मुद्दों पर बात नहीं कर पाती, कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में केवल जनता को गुमराह करने का कार्य किया था। मोदी सरकार ने 3.50 करोड़ पक्के मकान गरीबों को स्वीकृत किए थे जिसमें से 2 करोड से ज्यादा बन कर गरीबों को दे दिए गए हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ा दिया गया है यह दिखाता है कि मोदी सरकार गरीबों से किए गए वादे को लेकर संकल्पित रूप से कार्य कर रही है।

आज बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है इससे 33% सीधी नौकरियां देश के युवाओं को प्राप्त होने जा रही है।

किसानों के लिए 20 लाख करोड़ के किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान इस बजट में किया गया है इससे किसानों को बहुत लाभ होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दमदार नेता है जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35ए को हटाया गया है तब से प्रतिवर्ष दो करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर की सैर करने जा रहे है।

जी 20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसको लेकर पूरे देश में 55 स्थानों पर 200 से अधिक बैठके होने जा रही है जिसमें से कुछ बैठके हिमाचल के धर्मशाला में भी होगी इसके साथ-साथ शंघाई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बाथ है।

केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कोविड के समय कई ठेके ऐसे वितरित किए गए थे जिनका काम पूरा नहीं हो पाया और उनके 95% पैसे फंस गए थे, अब केंद्र सरकार उन ठेकेदारों को 95% पैसा वापस करने जा रही है।

देश में 2024 लोकसभा चुनावों के लिए 400 दिन रह गयी और हम एक बार फिर केंद्र में एक मजबूत सरकार बनाने जा रहे और हिमाचल प्रदेश में सभी चारों सीटों को एक बार फिर भाजपा जीतेगी।

कार्यसमिति की बैठक के बाद केंद्र की नीतियों का विवरण किया भाजपा ने जारी

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की पिछले दिनों ऊना में हुई बैठक में जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ाये जाने पर उन्हें बधाई दी। इस बधाई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुये उनके कार्यकाल

में हुई उपलब्धियों का भी एक विस्तृत ब्यौरा जारी किया गया है। सम्रणीय है कि इन्हीं उपलब्धियों का प्रचार प्रसार विज्ञापनों के माध्यम से जयराम सरकार में किया गया था। अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के परिदृश्य में इन उपलब्धियों का ब्यौरा बार-बार जनता में परोसने का फैसला लिया गया है।

मोदी सरकार ने 11.7 करोड़ घरों को शौचालय प्रदान किए गए। 9.6 करोड़ घरों को LPG Connection प्रदान किए गए। 220 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। 47.8 करोड़ जनधन के खाते खोले गए। 44.6 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा व जीवन ज्योति योजना से जोडा गया। 2.2 लाख करोड़ रुपये 11.4 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना में बांटे गए। 80 करोड़ लोगों को 28 माह तक नि:शुल्क राशन उपलब्ध कराया गया जिसे अब दोबारा अगले एक वर्ष और दिया जाएगा। प्रधान मंत्री उज्जवला योजना में 1 लाख 37 हजार परिवार लाभान्वित हुए। आयुषमान भारत योजना में 4 लाख 28 हजार परिवार रजिस्टर्ड हुए। जल जीवन मिशन में 8 लाख 37 हजार परिवार लाभान्वित हुए। प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि से 9 लाख 37 हजार परिवारों को 1532 करोड़ रुपये का लाभ मिला। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से 5912 कि.मी. नई सडकें बनाई गई। रेणुका बांध परियोजना 7000 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास। लूहरी हाईड्रो पावर 1800 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास। धौलासिद्ध पन बिजली परियोजना 680 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास। सावडा कुड्ड परियोजना 2080 करोड़ रुपये की योजना का शिलान्यास । नैशनल डिजास्टर फोर्स बटालियन हि.प्र. को दी गई। AIIMS बिलासपुर का लोकार्पण किया गया जिसके लिए 1356 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। अटल टनल रोहतांग बनाकर जनता को समर्पित की गई। वन रैंक वन पैंशन से हिमाचल प्रदेश के लगभग 1 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ पहुँचाया गया। आई. आई.एम. सिरमौर 400 करोड़। नाहन मैडिकल कालेज 189 करोड़। हमीरपुर मैडिकल कालेज 189 करोड़। चम्बा मैडिकल कालेज 189 करोड़। ट्रामा सेंटर्स 29 करोड़। पी.जी.आई Satellite Centre ऊना 450 करोड़। आई.आई.आई.टी. ऊना-128 करोड़। हाइड्रो इन्जीनियरिंग कालेज बिलासपुर-140 करोड़। सैन्ट्रल युनिवसिटी 512 करोड़ उपलब्ध करवाए गए। बल्क ड्रग पार्क। मैडिकल डिवाईस पार्क। वंदे भारत ट्रेन। रेल विस्तार-बजट 2023-1900 करोड़ रू0 फोरलेन हाइवे: लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं। अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डा मंडी सर्वेक्षण चल रहा है व केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र सरकार का 90 प्रतिशत हिस्सा विशेष कैटेगरी का दर्जा दिलाकर हिमाचल को आर्थिक रूप से मजबूत किया।

हमारी सांस्कृतिक विरास्तों की पुर्न स्थापना करने में मोदी सरकार सफल रही है। श्री राम जन्म स्थान पर भव्य मन्दिर निर्माण श्री काशी विश्व नाथ धाम का सर्वांगीण विकास, धारा 370 हटा कर काश्मीर को मुख्य धारा में मिलाने का प्रयास। सोमनाथ में विकास, केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, करतारुपर कॉरिडोर, हेमकुण्ड साहिब, गिरनार को रोप-वे से जोड़ा गया, गुरू गोविन्द सिंह जी के पुत्रों के बलिदान को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना मनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किये गए हैं।

देश की आजादी को बरकरार रखने के लिए और मातृभूमि की रक्षा के लिए जिन वीर सपूतों ने परमवीर चक्र प्राप्त किये, उनके नामों पर अंडमान-निकोबार द्वीपों के नाम रखकर उन वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हिमाचल प्रदेश के चार वीर सपूतों के नाम अंडमान श्रेत्र के चार द्वीपों के नाम रखकर हिमाचल के वीर सपूतों की वीरता/ बलिदान को सम्मान दिया गया। जो द्वीप अंग्रेजों के नाम से जाने जाते थे अब वे हिमाचल व देश के वीरों के नाम से जाने जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के वीर सपूतों मेजर सोमनाथ, ले. कर्नल धन सिंह थापा, कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार के नाम से ये द्वीप जाने जाऐंगे।

05 और 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार होंगे अपडेट

शिमला/शैल। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में 05 और 15 वर्ष के सभी विद्यार्थियों के आधार की बायोमेट्रिक अपडेट होगी। इसके लिए संस्थानों में आवश्यक बायोमेट्रिक अपडेट शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों और उप-निदेशक उच्चतर शिक्षा को आदेश जारी किए गए हैं। जारी पत्र के अनुसार 05 और 15 वर्ष के छात्रों के आधार अपडेशन 07 और 17 वर्ष पर निर्योग्य (डिसेबल) हो जाएंगे। वर्तमान में 05 वर्ष तक के 5.34 लाख और 15 वर्ष तक के 15.2 लाख विद्यार्थियों के आवश्यक आधार अपडेट लंबित हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को इसके लिए जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने तथा इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरणों को स्थापित करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि सभी विद्यार्थियों का आधार बायोमेट्रिक अपडेट पूर्ण किया जा सके।

इस परियोजना को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा नोडल एजेंसी के तौर पर कार्य करेगी। सभी शिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को पात्र विद्यार्थियों के आधार अपडेशन के लिए आयोजित होने वाले शिविरों में सुविधा प्रदान करने तथा इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस के पर्यटक यातायात एवं रेलवे विभाग द्वारा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार पांच दिवसीय प्रशिक्षण

का आयोजन किया जा रहा है इस प्रशिक्षण में टूरिस्ट पॉलिसी विषय पर हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों से आये 35 पुलिस प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। इस ट्रेनिंग का शुभारंभ गुरदेव चंद शर्मा, भा.पू.से., उप पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पर्यटक एवं रेलवे द्वारा किया गया। इस अवसर पर संदीप धवल, भा.पू.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, यातायात, पर्यटक एवं रेलवे एवं नरवीर सिंह राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, यातायात, पर्यटक एवं रेलवे भी मौजूद रहे।

इस प्रशिक्षण के दौरान मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रीति कंवर नागपाल, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, मुकुल डिमरी, एचआईएचएम कुफरी, मोहिंदर सेठ, प्रेसिडेंट होटल एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश, अनूप डोगरा बीआईएचएम संजौली एवं संजय भगवती उपनिदेशक टूरिज्म विभाग हिमाचल प्रदेश रहेंगे होंगे।

इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है :-पर्यटक पुलिस की प्राथमिक भूमिका विदेशी और घरेलू पर्यटकों को सुविधा, मार्गदर्शन, सुरक्षा और संरक्षा प्रदान करना होगा। यह पर्यटकों को धोखेबाज़ों, जेबकतरों, छेड़खानी, नशीले पदार्थों आदि से बचाने के लिए काम करते हुए परिवहन और आवास प्रदान करने में भी मदद करेगा।

पर्यटन और नागरिक उड्यन विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 के 31 अक्तूबर तक कुल 1.27 करोड़ पर्यटकों ने राज्य का दौरा किया था। हालाँकि, केवल 23,283 विदेशियों ने राज्य का दौरा किया।

वर्षवार पर्यटकों का आगमन

वर्ष	घरेलू पर्यटक	विदेशी पर्यटक
2017	191,30,541	470,992
2018	160,93,935	356,568
2019	168,29,231	382,876
2020	31,70,714	42,665
2021	56,32,270	4,832
2022	127,55,373	23,283

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सुक्खू सरकार ने लिया चार हजार करोड़ का कर्ज जयराम का आरोप

जयराम पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों के परिदृश्य में चार हजार करोड़ का कर्ज लेना बड़ा मुद्दा

धूमल ने भी कहा कांग्रेस की गारन्टीयां पूरी होने के लिये करना होगा इन्तजार

लोकसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है यह आरोप-प्रत्यारोप

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की ऊना में हुई बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला सरकार द्वारा अब तक लिये गये फैसलों के खिलाफ जनमत तैयार करने को लेकर लिया गया है। जिसमें कांग्रेस सरकार द्वारा जयराम कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में लिये गये फैसलों को पलटना प्रमुख मुद्दा बनाया गया है। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमन्त्री और अब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से जारी किये

प्रेस नोट में कहा गया है कि सुक्खू सरकार की कर्ज लेने की रफ्तार बहुत बढ़ गयी है। प्रेस ब्यान में खुलासा किया गया है कि सुक्खू सरकार ने सत्ता संभालने के बाद पन्द्रह दिन के भीतर एक हजार करोड़ का कर्ज लिया गया है। इसके बाद जनवरी में पन्द्रह सौ करोड़ और फिर फरवरी में भी पन्द्रह सौ करोड़ का कर्ज लिया गया है। इस तरह यह सरकार अभी तक ही चार हजार करोड़ का कर्ज ले चुकी है। जयराम द्वारा जारी इन आंकड़ों का खण्डन सरकार द्वारा नहीं किया जाना इन्हें प्रमाणिक बना देता है। धर्मशाला में हुये पहले विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट आने के बाद जयराम पर सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मुख्यन्त्री का तमगा चिपका दिया गया था। कैग रिपोर्ट आने के बाद जयराम कार्यकाल पर यह आरोप भी लगाया गया था कि इसने सुक्खू सरकार पर कर्मचारियों की पैन्शन और वेतन भुगतान का ही ग्यारह हजार करोड़ की देनदारी छोड़ी है। जयराम ने भी इन आरोपों का खण्डन नहीं किया है। इसका अर्थ है कि दोनों पार्टियों के यह शीर्ष नेता अपने को जनता के सामने नंगा करके रखने में जुट गये हैं। इसका प्रदेश पर कितना और कैसा असर पड़ेगा यह आने वाले दिनों में सामने आयेगा।

भाजपा की इस कार्यसमिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेम कुमार धूमल ने भी सुक्खू सरकार को इन्तजार की सरकार की संज्ञा देते हुये यह दावा किया है कि भाजपा आने वाले दिनों लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर कब्जा करेगी। धूमल ने तर्क दिया है कि भाजपा के पास जब विधानसभा में केवल सात सीटें थी तब भी लोकसभा की चारों सीटों पर कब्जा किया था तो अब तो भाजपा के पास पच्चीस सीटें हैं। धूमल ने कांग्रेस द्वारा घोषित इस गारन्टियों के पूरा होने के लिये भी इन्तजार करने को कहा है। भाजपा की यह बैठक और इसमें लगाये गये आरोप आने वाले लोकसभा चुनाव के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी अवसर पर मोदी सरकार द्वारा प्रदेश को दी गयी सहायता और विभिन्न योजनाओं का भी लम्बा चौड़ा विवरण जारी किया गया है।

सुक्खू सरकार जयराम कार्यकाल पर वित्तीय कुप्रबंधन और 75000 करोड का कर्ज तथा ग्यारह

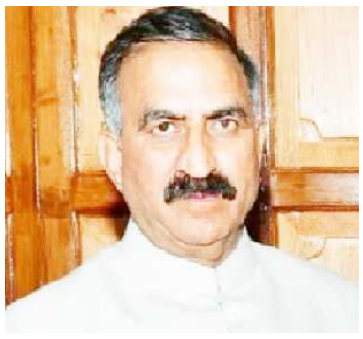

हजार करोड की वेतन और पैन्शन आदि की देनदारियों छोड़ जाने का जो आरोप लगा रही है उस पर एकदम चुप्पी साधते हुये इस सरकार पर कर्ज लेने की गति बढ़ाने का आरोप लगा देना भाजपा की एक अलग रणनीति का परिचय देती है। इस परिदृश्य में यह देखना रोचक होगा कि सुक्खू सरकार जय राम और धूमल के आरोपों का जवाब किस तर्ज में देती है। क्योंकि ऊना में कार्यसमिति की बैठक का आयोजन कर और उसमें धूमल के यह तेवर सामने आना निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से बहुत अहमियत रखता है। यह सही है कि विधानसभा चुनावों में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। चुनाव परिणामों के बाद यह माना जाने लगा था कि इस हार की गाज नड्डा, जयराम, अनुराग और सुरेश कश्यप सब पर बराबर गिरेगी। लेकिन जिस तरह से नड्डा, जयराम, अनुराग अपने पद बचाने में सफल रहे हैं उसी तर्ज पर सुरेश कश्यप के भी सुरक्षित रहने की पूरी पूरी संभावना है। यह यथा स्थितियां बहाल रहने से पार्टी के शीर्ष पर जो आपसी खींचतान बढ़ने के कयास लगाये जा रहे थे उन पर विराम लगने से

जहां भाजपा की स्थिति सुखद हुई है वहीं पर कांग्रेस के लिये एक बड़ी चुनौती बन सकती है।

सुक्खू सरकार उद्योगों के लिए लायेगी वन स्टॉप सॉल्यूशन

क्या सुक्खू सरकार नई उद्योग नीति लाने से पहले पुरानी नीतियों का व्यवहारिक सच सामने लायेगी?

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिये समर्पित निवेश प्रोत्साहन एवं सुगमता ब्यूरो गठित करने का फैसला लिया है। इस ब्यूरो के माध्यम से निवेशकों को सभी सवीकृतियां समयबद्ध ढंग से प्रदान की जायेगी। यह ब्यूरो उद्योग, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद, सूचना प्रौद्योगिकी एवं आईटीसी, ऊर्जा तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षण संस्थानों में निवेश के लिये वन स्टॉप सॉल्यूशन सुविधा उपलब्ध करवायेगा। इस ब्यूरो के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजना को अनुमोदन और स्वीकृतियां प्रदान की जायेगी। स्मरणीय है कि कांग्रेस ने जो दस गारंटीयां जारी की हैं उनमें एक गारंटी एक लाख रोजगार सृजित करने की भी है। इस समय प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में करीब अढ़ाई लाख कर्मचारी कार्यरत हैं और प्राइवेट क्षेत्र में उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2.40 लाख कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध है। सरकारी क्षेत्र में प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की संख्या भी करीब दस हजार के आसपास रहती हैं। इस परिदृश्य में एक लाख रोजगार प्रतिवर्ष उपलब्ध करवा पाना एक बहुत बड़ा लक्ष्य हो जाता है। प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार युवाओं की संख्या करीब बारह लाख है।

ऐसे में जब भी रोजगार के अवसर सृजित करने की बात उठती है तो सबसे पहला ध्यान उद्योगों पर जाता है। प्रदेश में औद्योगिक विकास की ओर 1977 से ध्यान जाने लगा है। इसके बाद भी औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित और स्थापित हुये हैं। प्रदेश में उद्योगों को आमन्त्रित करने के लिये हर तरह की सुविधायें उन्हें प्रदान करवाई गयी। कर्ज और उपदान सब कुछ दिया गया है। बल्कि इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश का वित्त निगम लगभग बन्द होने की कगार पर पहुंच गया है। उद्योगों की सहायता में कार्यरत अन्य बोर्ड/निगम भी भारी घाटे में चल रहे हैं। आज तक केन्द्र से लेकर राज्य सरकार तक ने जो उपदान उद्योगों को दे रखे यदि सबका योग किया जाये तो यह राशि इन उद्योगों के अपने निवेश से कहीं ज्यादा हो जाती है। इन उद्योगों से कुल रोजगार प्रदेश के युवाओं को मिल पाया है वह भी सरकारी क्षेत्र से कम है। इन उद्योगों से सरकारी कोष में वर्ष 2022-23 में आया कुल कर राजस्व 10881.39 करोड़ और करेत्तर राजस्व 2769.21 करोड़ है। इन उद्योगों को अब तक दी गयी आर्थिक सुविधाओं के लिए जो ब्याज सरकार प्रतिवर्ष दे रही है वह इस कुल कर राजस्व से कहीं अधिक हो जाता है। जो उद्योग 1977 से 1990 तक प्रदेश में लगे हैं उनमें से शायद आज आधे से भी कम व्यवहारिक रूप से उपलब्ध हैं। जब हर सरकार उद्योगों को लुभाने के आकर्षित उद्योग नीतियां लेकर आती रही है। प्रदेश के भीतर और बाहर बड़े स्तर पर इन्वैस्टर मीट आयोजित हुए हैं। हर मीट के बाद निवेश और रोजगार के लम्बे-लम्बे आंकड़े परोसे जाते रहे हैं लेकिन कोई भी सरकार अपने दावों पर श्वेत पत्र जारी नहीं कर पायी है। यह एक स्थापित सत्य है कि जिस भी उद्योग के लिए यहां पर कच्चा माल और उपभोक्ता प्रदेश में उपलब्ध रहेगा वही यहां पर सफल हो पायेगा दूसरा नहीं। सुक्खू सरकार ने व्यवस्था बदलने का वादा प्रदेश से किया है। इस वायदे के परिपेक्ष में यह उम्मीद किया जाना स्वभाविक है कि नई उद्योग नीति लाने से पहले अब तक के व्यावहारिक परिदृश्य पर नजर दौड़ा ली जाये क्योंकि प्रदेश की स्थिति श्रीलंका जैसी होने की आशंका बराबर बनी हुई है।